

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... जज अशोक सिन्हा मुकाम सिकरा
के पास बनाम करीम

किस्म मुकदमा..... रा आवासी निर्धारण मु०न० 3111

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं अह मु० नं०
<p><u>जुलाई 15/76</u></p> <p><u>प्रेम चंद</u></p>	<p>15/76 फावली में जज अशोक सिन्हा ने जज प्रेम चंद की अपील पर फैसला सुनाया कि आवासी निर्धारण का अधिकार जज अशोक सिन्हा को है। जज प्रेम चंद को इस अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहिए। फावली निर्धारण के लिए जज अशोक सिन्हा को अधिकार है। जज प्रेम चंद को इस अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहिए।</p>	
	<p><u>28</u> अशोक सिन्हा (जज)</p>	